

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	12703.23	7720.01	20423.24	16198.00	10552.00	26750.00	14698.00	9787.00	24485.00	16900.00	10756.00	27656.00	
पूँजी	
जोड़	12703.23	7720.01	20423.24	16198.00	10552.00	26750.00	14698.00	9787.00	24485.00	16900.00	10756.00	27656.00	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.00	65.63	66.63	...	90.38	90.38	...	78.64	78.64	...	99.95	99.95
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
सामान्य शिक्षा													
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा													
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	4990.87	4686.78	9677.65	5147.00	5066.74	10213.74	4720.06	4808.46	9528.52	3520.00	5457.71	8977.71
4. राज्य सरकारों को डिग्री कालेजों हेतु सहायता	2202	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	9.00	...	9.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	<i>9.00</i>	...	<i>9.00</i>	<i>52.00</i>	...	<i>52.00</i>	<i>52.00</i>	...	<i>52.00</i>
5. विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	98.22	98.22	...	2250.00	2250.00	...	1800.00	1800.00	...	1800.00	1800.00
6. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	91.90	48.85	140.75
7. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	4.16	10.54	14.70
8. ग्रामीण विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	...	0.98	0.98
9. भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	11.20	9.34	20.54
10. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद	2202	4.17	3.52	7.69
11. शास्त्री भारत कनाडाई संस्थान	2202	...	2.50	2.50	...	2.77	2.77	...	2.29	2.29	...	2.77	2.77
12. शैक्षिक ऋण संबंधी ब्याज सब्सिडी	2202	1000.00	...	1000.00
13. न्यायाधिकरणों, प्रत्यायन प्राधिकरण, एनसीएचईआर और राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना	2202	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. राष्ट्रीय अध्यापक एवं प्रशिक्षण मिशन	2202	90.00	...	90.00	0.90	...	0.90	90.00	...	90.00
15. भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पहल	2202	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. खेल एवं स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय पहल	2202	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
17. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	2202	400.00	...	400.00	240.00	...	240.00	
18. केंद्रीय विश्वविद्यालय सीमांघ्र	2202	1.00	...	1.00	
19. सीमांघ्र और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	2202	2.00	...	2.00	
20. अन्य कार्यक्रम	2202	1.67	2.95	4.62	132.75	84.22	216.97	121.94	98.61	220.55	164.01	106.75	270.76
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा छात्र वित्तीय सहायता		6112.97	4863.68	10976.65	5824.75	7403.73	13228.48	5134.93	6709.36	11844.29	3778.03	7367.23	11145.26
21. गारंटी निधि हेतु ब्याज सन्निडी और अंशदान	2202	1100.00	...	1100.00	1722.20	...	1722.20	2081.00	...	2081.00
22. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	2202	115.47	...	115.47	350.00	...	350.00	230.00	...	230.00	245.00	...	245.00
जोड़-छात्र वित्तीय सहायता मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा आईसीटी		115.47	...	115.47	1450.00	...	1450.00	1952.20	...	1952.20	2326.00	...	2326.00
23. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	105.00	52.00	157.00	100.00	1.00	101.00	73.50	0.33	73.83	112.50	1.00	113.50
24. कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग	2202	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	6.00	6.00
25. गैर हिन्दी भाषी राज्यों/सं.रा.क्षे. के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियां	2202	...	0.35	0.35	...	0.92	0.92	...	0.99	0.99	...	0.90	0.90
	3601	...	0.11	0.11	...	1.41	1.41	0.10	0.10
	3602	0.08	0.08
	जोड़	...	0.46	0.46	...	2.41	2.41	...	0.99	0.99	...	1.00	1.00
26. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	2202	191.83	...	191.83	339.98	...	339.98	106.23	...	106.23	180.00	...	180.00
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	191.83	...	191.83	340.00	...	340.00	106.25	...	106.25	180.00	...	180.00
27. वास्तविक कक्षा और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) की स्थापना	2202	90.00	...	90.00
28. उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु सहायता संघ (सीएचईईआरएस)	2202	202.50	...	202.50
जोड़-मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा आईसीटी भाषा विकास		296.83	57.46	354.29	440.00	8.41	448.41	179.75	6.32	186.07	585.00	8.00	593.00
29. हिन्दी निदेशालय	2202	12.66	10.16	22.82	14.40	12.48	26.88	21.25	12.15	33.40	14.40	13.21	27.61
30. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	4.23	2.92	7.15	8.00	3.28	11.28	6.33	3.22	9.55	7.00	3.49	10.49
31. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	9.83	15.04	24.87
32. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	40.00	...	40.00
33. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	20.44	9.45	29.89	41.00	12.42	53.42	23.14	10.95	34.09	23.40	13.01	36.41
34. राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद	2202	2.50	...	2.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
35. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईसीटी), चेन्नै	2202	6.44	...	6.44	
36. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	99.48	56.10	155.58	
37. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	32.00	...	32.00	
38. भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान	2202	210.75	83.02	293.77	210.75	90.34	301.09	170.00	97.97	267.97
जोड़-भाषा विकास सामान्य		227.58	93.67	321.25	274.15	111.20	385.35	261.47	116.66	378.13	214.80	127.68	342.48
39. पुस्तक संवर्धन एवं आईपीआर	2202	18.98	30.32	49.30	23.40	26.83	50.23	33.18	25.82	59.00	26.10	31.98	58.08
40. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को	2202	16.49	13.87	30.36
41. आयोजना मानदंड	2202	11.30	13.46	24.76
42. प्रशासन	2202	...	6.25	6.25
जोड़-सामान्य		46.77	63.90	110.67	23.40	26.83	50.23	33.18	25.82	59.00	26.10	31.98	58.08
43. योजना, प्रशासन और वैश्विक गतिविधि	2202	91.55	39.20	130.75	75.90	44.37	120.27	129.60	42.74	172.34
जोड़-सामान्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा		6799.62	5078.71	11878.33	8103.85	7589.37	15693.22	7637.43	6902.53	14539.96	7059.53	7577.63	14637.16
44. सामुदायिक पालिटेक्निकस	2203	0.24	...	0.24
	3601	37.92	...	37.92
	3602	0.40	...	0.40
	<i>जोड़</i>	<i>38.56</i>	...	<i>38.56</i>
45. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	1332.00	1315.59	2647.59	2220.00	1450.09	3670.09	2173.75	1454.86	3628.61	2320.00	1576.02	3896.02
46. छात्रवृत्तियां/एप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण	2203	34.81	17.37	52.18	49.00	18.22	67.22	49.00	16.40	65.40	79.50	18.22	97.72
47. भारतीय प्रबंध संस्थान	2203	110.45	...	110.45	331.05	38.78	369.83	231.05	2.00	233.05	270.00	5.00	275.00
48. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	180.00	218.53	398.53
49. अपंगों के लिए पालीटेक्निक	2203	1.39	...	1.39
50. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	35.00	9.12	44.12
51. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2203	70.00	14.17	84.17
52. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर	2203	65.00	...	65.00
53. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (डीएंडएम) कांचीपूरम	2203	80.00	...	80.00
54. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	2203	6.00	22.00	28.00	6.00	27.27	33.27	1.98	26.69	28.67	4.00	25.36	29.36
55. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	24.00	20.93	44.93
56. योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय, दिल्ली	2203	6.29	19.42	25.71
57. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर)	2203	31.45	48.18	79.63	31.50	61.54	93.04	39.50	51.39	90.89	31.50	61.50	93.00
58. संत लॉगोबाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी	2203	8.59	23.12	31.71

संस्थान	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
59.	आई.एस.एम., धनबाद	2203	135.00	53.95	188.95	110.00	58.09	168.09	110.00	64.15	174.15	110.00	69.56	179.56
60.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड	2203	1.27	9.30	10.57	3.50	10.47	13.97	3.50	10.17	13.67	3.50	11.30	14.80
61.	भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	2203	88.36	...	88.36	180.00	...	180.00	110.00	...	110.00	90.00	...	90.00
		3601	100.33	...	100.33	200.00	...	200.00	315.74	...	315.74	355.00	...	355.00
		3602	20.00	...	20.00	7.26	...	7.26	5.00	...	5.00
		जोड़	188.69	...	188.69	400.00	...	400.00	433.00	...	433.00	450.00	...	450.00
62.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सीआईटी कोकराझार	2203	49.93	...	49.93
63.	भारतीय नवीन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में पीपीपी पद्धति (पूर्वनाम भारतीय नवीन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान)	2203	3.75	...	3.75	30.00	...	30.00	14.90	...	14.90	16.00	...	16.00
64.	नवीन योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	75.00	...	75.00	85.00	20.97	105.97	80.00	22.50	102.50	85.00	24.30	109.30
65.	इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	2203	...	26.34	26.34	...	26.34	26.34	...	23.71	23.71	...	26.34	26.34
66.	नए आईआईटी की स्थापना	2203	741.62	...	741.62
67.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	2203	680.00	...	680.00
68.	मौजूदा पोलिटेक्निकों के उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता	3601	417.40	...	417.40
		3602
		जोड़	417.40	...	417.40
69.	नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	2203	140.00	...	140.00
70.	नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना	2203	99.49	...	99.49
71.	पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास	2203
		3601	62.85	...	62.85
		3602
		जोड़	62.85	...	62.85
72.	सीमान्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	2203	0.15	...	0.15	100.00	...	100.00	16.50	...	16.50	50.00	...	50.00
73.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	2203	400.00	...	400.00	357.00	1.00	358.00	314.50	0.33	314.83	247.50	1.00	248.50
74.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	906.14	747.15	1653.29	910.00	809.08	1719.08	809.00	777.80	1586.80	879.02	873.82	1752.84
75.	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	2203	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01	107.95	...	107.95
76.	पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, ईटानगर	2203	5.80	37.60	43.40
77.	भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु विज्ञान संस्थान को सहायता	2203	859.50	232.93	1092.43	809.50	237.17	1046.67	810.00	257.23	1067.23

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
78. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता	2203	220.00	27.14	247.14	200.00	29.28	229.28	200.00	31.84	231.84	
79. एसएलआईटी, नेरिस्ट, निफ्ट रांची और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता	2203	47.60	89.92	137.52	47.60	89.18	136.78	25.00	96.52	121.52	
80. डिजाइन नवाचार हेतु राष्ट्रीय पहल	2203	25.00	...	25.00	5.00	...	5.00	45.00	...	45.00	
81. प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु राष्ट्रीय पहल	2203	25.00	...	25.00	8.25	...	8.25	35.00	...	35.00	
82. सामुदायिक कालेजों सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा हेतु सहायता	2203	30.00	...	30.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
83. आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	2203	50.00	...	50.00	16.00	...	16.00	55.00	...	55.00	
84. राज्यों में पोलिटेक्निकों हेतु सहायता	2203	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	
	3601	575.50	...	575.50	252.10	...	252.10	
	3602	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	
	जोड़	595.00	...	595.00	271.60	...	271.60	
85. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी)/ भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना	2203	450.00	...	450.00	
86. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) सीमांघ्र	2203	1.00	...	1.00	
87. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सीमांघ्र	2203	1.00	...	1.00	
88. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) सीमांघ्र	2203	1.00	...	1.00	
89. भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) सीमांघ्र	2203	1.00	...	1.00	
90. पीपीपी प्रणाली पर आधारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) सीमांघ्र	2203	1.00	...	1.00	
91. अन्य कार्यक्रम	2203	...	0.04	3.00	0.37	3.37	0.03	0.16	0.19	105.02	0.37	105.39	
जोड़-तकनीकी शिक्षा		5930.63	2582.81	8513.44	6518.15	2872.21	9390.36	5635.67	2805.79	8441.46	6384.99	3078.38	9463.37
92. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के फायदे वाली परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
92.01 विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	680.00	...	680.00	562.90	...	562.90	395.00	...	395.00	
92.02 भाषा विकास हेतु प्रावधान	2552	25.85	...	25.85	25.85	...	25.85	34.20	...	34.20	
92.03 पुस्तक संवर्धन हेतु प्रावधान	2552	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	2.90	...	2.90	
92.04 छात्र वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान	2552	
92.05 योजना, प्रशासन और वैश्विक गतिविधि हेतु प्रावधान	2552	1.70	...	1.70	1.30	...	1.30	4.40	...	4.40	
92.06 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और आईसीटी हेतु प्रावधान	2552	85.00	...	85.00	30.25	...	30.25	65.00	...	65.00	

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
92.07 तकनीकी शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	780.85	...	780.85	802.00	...	802.00	753.98	...	753.98
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के फायदे वाली परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान		1576.00	...	1576.00	1424.90	...	1424.90	1255.48	...	1255.48
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना													
93. राज्य उच्चतर शिक्षा हेतु मुख्य सहायता - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए)													
93.01 राज्य आयोजना	3601	1543.58	...	1543.58
93.02 संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	90.80	...	90.80
93.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	2552	384.02	...	384.02
93.04 राज्य आयोजना	2202	181.60	...	181.60
जोड़- राज्य उच्चतर शिक्षा हेतु मुख्य सहायता - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए)		2200.00	...	2200.00
94. वास्तविक वसूलियां	2202	-5.83	-7.17	-13.00
	2203	-20.59	...	-20.59
	2251	...	-0.01	-0.01
	3601	-1.60	...	-1.60
जोड़		-28.02	-7.18	-35.20
कुल जोड़		12703.23	7720.01	20423.24	16198.00	10552.00	26750.00	14698.00	9787.00	24485.00	16900.00	10756.00	27656.00
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़
ग. योजना परिव्यय*													
केन्द्रीय योजना:													
1. सामान्य शिक्षा	22202	6800.21	...	6800.21	8115.85	...	8115.85	7642.43	...	7642.43	7059.53	...	7059.53
2. तकनीकी शिक्षा	22203	5910.04	...	5910.04	6518.15	...	6518.15	5635.67	...	5635.67	6384.99	...	6384.99
3. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.00	...	1.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1576.00	...	1576.00	1424.90	...	1424.90	1255.48	...	1255.48
जोड़ - केन्द्रीय योजना		12711.25	...	12711.25	16210.00	...	16210.00	14703.00	...	14703.00	14700.00	...	14700.00
राज्य योजना:													
1. सामान्य शिक्षा	43601	2109.20	...	2109.20
जोड़ - राज्य योजना		2109.20	...	2109.20
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
1. सामान्य शिक्षा	43602	90.80	...	90.80
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		90.80	...	90.80
जोड़		12711.25	...	12711.25	16210.00	...	16210.00	14703.00	...	14703.00	16900.00	...	16900.00
<i>*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन</i>													
मांग संख्या 104	22202	8.02	...	8.02	12.00	...	12.00	5.00	...	5.00

1. **सचिवालय:** यह व्यवस्था सचिवालयी खर्च के लिए है। प्रस्तावित बजट सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीदारी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीदारी, सलाहकारी शुल्क के साथ-साथ प्रशिक्षण आदि के लिए भी अपेक्षित है जो मंत्रालय के दोनों विभागों में ई-गवर्नेन्स जैसे कार्यक्रमों के सुदृढीकरण के लिए जरूरी है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** विवेकाधीन अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्री के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है जो स्कीम के नियंत्रक नियम के अनुसार योग्य मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

3. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों का निर्धारण एवं समन्वयन करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में की गई थी। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए अलग से प्रावधान बनाया जा रहा है।

4. **डिग्री कालेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता:** इस योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 से रूसा के साथ विलय कर दिया गया है। क्रम संख्या 17 पर देखें।

5. **विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के बावत देयता पूरी करने का प्रावधान किया गया है।

6. **भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद:** क्रम संख्या 20 पर देखें।

7. **भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आई सी एच आर):** क्रम संख्या 20 पर देखें।

8. **ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्:** क्रम संख्या 20 पर देखें।

9. **भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला:** क्रम संख्या 20 पर देखें।

10. **भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद:** क्रम संख्या 20 पर देखें।

11. **शास्त्री भारत कनाडा संस्थान:** शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान की स्थापना भारत तथा कनाडा की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 1968 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षण कार्यक्रमों को सुसाध्य बनाते हुए भारत तथा कनाडा के बीच समझबूझ को बढ़ावा देना है। दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित करार के तहत दोनों देशों में संस्थान के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

12. **शिक्षा ऋण ब्याज सहायता योजना:** क्रम संख्या 21 पर देखें।

13. **न्यायाधिकरणों, प्रत्यायन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय वित्त कॉर्पोरेशन की स्थापना:** उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को पुनः तैयार करने के लिए कई सुधार संबंधी उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अधिनिर्णायक निकायों की स्थापना करना ताकि उच्चतर शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों का फास्ट-ट्रेक, त्वरित निपटान किया जा सके, इस प्रयोजनार्थ एक अनिवार्य प्रत्यायन प्रणाली तथा संस्थागत संरचना की व्यवस्था करना, उच्चतर शिक्षा में मानक निर्धारण तथा नीति निर्धारण हेतु एक सर्वसमावेशी निकाय की स्थापना करना और उच्चतर शिक्षा में निवेश तथा शैक्षिक ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के लिए अग्रिम निधियन के प्रयोजनार्थ एक वित्तीय निकाय सृजित करना शामिल है। इन सुधारमूलक पहलों हेतु निधियन की व्यवस्था की गई है।

14. **राष्ट्रीय अध्यापक एवं शिक्षण मिशन:** यह मिशन स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर की अध्यापक शिक्षा का एक समग्र तथा एकल सांतत्यक तरीके से अवलोकन करेगा और सभी स्तरों पर संस्थागत तंत्रों को सुदृढ करने हेतु तरीके सुझाएगा।

15. **भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पहल:** इस पहल से उन सभी एजेंसियों को समन्वित करने में सहायता मिलेगी जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करती हैं और अन्य क्रियाकलापों के साथ मौलिक अनुसंधान तथा प्रकाशन संपर्कों को बढ़ावा देती हैं और नए केन्द्रों की स्थापना करती हैं, शिक्षण-अधिगम संसाधनों का सृजन करती हैं और भारतीय भाषाओं की गुणवत्ता के लिए सहायता प्रदान करती हैं।

16. **खेल-कूद और स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय पहल:** इस योजना का उद्देश्य, उच्चतर शिक्षा में स्वास्थ्य तथा स्व-तदुत्स्ती कार्यक्रमों को शामिल करना है जिसमें सामान्य संस्थागत अपेक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा को शामिल करना, खेल-कूद में प्रतिभागिता को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना, शारीरिक शिक्षा विभागों की स्थापना करना, खेल-कूद अवसंरचना, अंतःअनुशासनिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना और खेल-कूद संबंधी सूचना-तंत्र का सृजन करना शामिल है।

17.93. **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान:** यह केन्द्रीय प्रायोजित सामूहिक योजना है जिसका उद्देश्य, राज्य उच्चतर तथा तकनीकी संस्थाओं को अनुकूल रूप से निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करेंगे जो एक साथ ही विस्तार, साम्य और उत्कृष्टता के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अंतःसंबद्ध कार्यनीति का उपयोग करेंगे। केन्द्रीय निधियन को, राज्य उच्चतर शिक्षा के अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के साथ जोड़ा जाएगा।

इस योजना में पॉलिटेक्निक के लिए सहायता हेतु भी प्रावधान शामिल हैं।

18. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय सीमांध्र:** इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय सीमांध्र के लिए प्रावधान शामिल है।

19. **सीमांध्र और तेलंगाणा जनजातीय विश्वविद्यालय:** इसमें सीमांध्र और तेलंगाणा जनजातीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रावधान शामिल है।

20. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों, आयकर की वापसी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल, उच्चतर शिक्षा में और निःशक्त व्यक्तियों के समावेश हेतु राष्ट्रीय पहल सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु सहायता अनुदान देने का प्रावधान शामिल है।

21. **गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान:** वर्ष 2009-10 से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने उन विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा-ऋणों के संबंध में, जिनके परिवार की आय 4.5 लाख वार्षिक से कम है, ऋण स्थगन अवधि के दौरान प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की है। ऋण गारंटी न्यास के प्रबंध के तहत, विद्यार्थी ऋणों के प्रतिदान में चूक न होने देने की गारंटी देने के लिए एक विद्यार्थी ऋण गारंटी कार्पस की स्थापना की जाएगी। यह उधार देने वाली संस्थाओं को विद्यार्थी ऋणों के प्रतिदान में होने वाली चूकों से पर्याप्त रूप से संरक्षा करेगा और इसके परिणामस्वरूप और अधिक विद्यार्थी ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार को विद्यार्थी ऋणों पर ब्याज की दर में कटौती करनी चाहिए।

22. **कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय सेक्टर के तहत संचालित इस योजना के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्चतर शिक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों में से कम से कम 2 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। छात्रवृत्ति राशि ई-बैंकिंग के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों को भेज दी जाती है ताकि कोई बिलम्ब न हो।

23. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय:** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में एक संसदीय अधिनियम के तहत की गई थी जिसका उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों विशेषकर सुविधाविहीन वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करना, सतत शिक्षा प्रदान करना; ज्ञान एवं कौशल का स्तरोन्नयन; महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरू करना तथा मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की वृद्धि में सहयोग किया है तथा इड्यू के माध्यम से इन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता का एक पृथक प्रावधान जो इड्यू के अपने कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता से पृथक है, रखा गया है।

24. **कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग:** कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों द्वारा 1988 में की गई थी जिसका मुख्यालय बैंकूर में है। इसका अधिदेश- राष्ट्रमंडल के देशों में दूरस्थ शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता का हर स्तर पर उपयोग करते हुए शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर अध्ययन के अवसरों की सुलभता सृजित करना तथा उनका विस्तार करना है।

25. **गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियां:** हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन हेतु गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन का उद्देश्य गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को बढ़ावा देना एवं इन राज्यों की सरकारों को शिक्षण तथा अन्य मदों, जिसके लिए हिन्दी की जानकारी आवश्यक होती है, के लिए योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत मैट्रिकोत्तर से स्नातकोत्तर स्तर के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

26. **आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** देश के मानव संसाधन से जुड़ी प्रतिभाओं के अभिनिर्धारण एवं पोषण और अध्येताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अध्ययन माड्यूलों के जरिए जीवनपर्यन्त अध्ययन हेतु एक प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस स्कीम में बौद्धिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से अध्येताओं द्वारा प्राप्त जानकारी के प्रमाणीकरण के साथ-साथ देश के मानव संसाधन से जुड़ी क्षमताओं, योग्यताओं एवं प्रतिभा से संबंधित डाटाबेस के प्रणालीबद्ध संकलन की परिकल्पना की गई है।

27. **वास्तविक कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) की स्थापना करना:** वास्तविक कक्षाएं और एमओओसी अध्ययन को सुसाध्य बनाने वाली प्रौद्योगिकी के नए रूप हैं जो सभी भू-क्षेत्रों में व्यापक-आधार गुणवत्ता वाली शिक्षा में सहायक होंगे। व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम(एमओओसी) बड़ी संख्या में अध्ययनकर्ताओं को ऑनलाइन गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक ऐसी प्रणाली के रूप में उभरा है जो महंगी नहीं है। गुणवत्ता प्राध्यापक वर्ग के लाभ, जो शीर्ष संस्थाओं में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम का अध्यापन करा रहे हैं, को सभी संस्थाओं में, उनकी भौतिक अवस्थिति को ध्यान में न रखकर, विद्यार्थियों और प्राध्यापक वर्ग को वास्तविक कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सहायता से संप्रेषित किए जा सकते हैं। जिससे शिक्षा सही रूप में बंधनरहित और सीमामुक्त हो गई है। विशिष्ट रूप से भारत में, लाखों महत्वाकांक्षी अध्ययनकर्ताओं तक पहुंच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एमओओसी और वास्तविक कक्षा प्रणाली का प्रयोग उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा दोनों में सहायक होगा।

28. **उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए सहायता संघ (चियर्स):** इस योजना के उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से देश में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सदस्यता के लिए धन उपलब्ध कराएगा।

29. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1960 में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी जिसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा चैन्नई में स्थित हैं, और जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विकास करना है और यह 'द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दावली' का प्रकाशन, 'पत्राचार पाठ्यक्रम' 'हिन्दी लेखकों को पुरस्कार' इत्यादि जैसी स्कीमों को संचालित करता है।

30. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग:** वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्तूबर, 1961 में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का विकास करना है। आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को अध्ययन के माध्यम के रूप में परिवर्तित करने को सुविधाजनक बनाने के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने संबंधी योजना संचालित करता है और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय अकादमियों के साथ यह तालमेल करता है।
31. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा:** क्रम संख्या 38 पर देखें।
32. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद:** क्रम संख्या 38 पर देखें।
33. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना जुलाई, 1969 में मैसूर में मुख्य परिसर के साथ की गई थी और इसके सात क्षेत्रीय भाषा केन्द्र भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे तथा सोलन में स्थित हैं। यह संस्थान भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित/कार्यान्वित करने में सहयोग करता है और भाषा विज्ञेषण, भाषा विज्ञान, भाषा तकनीक तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान संचालित करके भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वयन करता है। यह विभिन्न भाषाओं के विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। शहरी विकास मंत्रालय के बजट में निर्माण कार्यों के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
34. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्द्धन परिषद:** क्रम संख्या 38 पर देखें।
35. **केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल भाषा संस्थान, चेन्नई:** क्रम संख्या 38 पर देखें।
36. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान:** क्रम संख्या 38 पर देखें।
37. **राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान:** क्रम संख्या 38 पर देखें।
38. **भारतीय भाषाओं के विकास हेतु अनुदान:** इस पहल के तहत परम्परागत भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संवर्द्धन और विकास पर अधिक फोकस प्राप्त होगा। विशेष जोर, उन लुप्त प्राय भाषाओं के परिरक्षण, संवर्द्धन और विकास पर दिया जाए जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को सुदृढ़ बनाया जाएगा। अनुवाद प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में विशेषीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने और लघु अवधि कार्यक्रमों और भाषा शिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अनुवादकों का क्षमता निर्माण करने पर फोकस किया जाएगा।
39. **पुस्तक प्रोत्साहन और आईपीआर:** भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अच्छे साहित्य का सृजन करता है तथा इसके लिए प्रोत्साहन देता है और आम लोगों को सस्ती कीमत पर ऐसे साहित्य उपलब्ध कराता है। भारतीय पुस्तकों और लेखन को प्रोत्साहन और इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है। इसमें कॉपी राईट और आईपीआर के संवर्द्धन हेतु प्रावधान भी शामिल है।
40. **भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को:** क्रम संख्या 43 पर देखें।
41. **आयोजना मानदंड:** क्रम संख्या 43 पर देखें।
42. **प्रशासन:** क्रम संख्या 43 पर देखें।
43. **नियोजन, प्रशासन तथा वैश्विक विनियोजन:** इनमें राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ऑरोविले प्रबंधन और अन्य योजना हेतु प्रावधान शामिल है।
44. **सामुदायिक पॉलिटैक्रिक:** क्रम संख्या 84 पर देखें।
45. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, संगत क्षेत्र में अनुसंधान करना, तथा शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना है।
46. **छात्रवृत्तियाँ/प्रशिक्षुता प्रशिक्षण:** क्रम संख्या 60 पर देखें।
47. **भारतीय प्रबंधन संस्थान:** प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'उत्कृष्ट केंद्रों' के रूप में भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की थी। ये संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, फैलोशिप कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं।
48. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर:** क्रम संख्या 77 पर देखें।
49. **विकलांगों के लिए पॉलिटैक्रिक्स:** क्रम संख्या 20 पर देखें।
50. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर:** क्रम संख्या 78 पर देखें।
51. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद:** क्रम संख्या 78 पर देखें।
52. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर:** क्रम संख्या 78 पर देखें।
53. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (डी. एंड एम.), कांचीपुरम:** क्रम संख्या 78 पर देखें।
54. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई की स्थापना भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केंद्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।
55. **राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची:** क्रम संख्या 79 पर देखें।
56. **आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली:** क्रम संख्या 64 पर देखें।

57. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** ये संस्थान भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित हैं और एम.टेक. पाठ्यक्रमों के संचालन के अलावा पॉलिटैक्रिकों, उद्योगों तथा समुदाय के लिए आयोजना, डिजाइनिंग, गुणवत्तामूलक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन तथा शैक्षणिक पैकेज आयोजित करने के कार्य में लगे हैं।

58. **संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल:** क्रम संख्या 79 पर देखें।

59. **भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद:** भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद की स्थापना खनन उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने हेतु वर्ष 1926 में की गई। वर्ष 1967 में भारतीय खनन विद्यालय को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिणत किया गया तथा उसे सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी, पर्यावरणीय विज्ञान और इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, मैकेनिकल इंजीनियरी, व्यावहारिक विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञानों के संबद्ध क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के अलावा खनन, पेट्रोलियम, खनन यांत्रिकी, खनिज इंजीनियरी और भू-विज्ञानों के क्षेत्रों में मानव संसाधन की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।

60. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड:** प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन 'प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत एक वैधानिक जिम्मेदारी है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम औद्योगिक स्थापनाओं/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) और 10 जमा 2 स्तर पर व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है।

प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुम्बई में स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

61. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:** यह विश्व बैंक से वित्तपोषित परियोजना है जिसके मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-(i) शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकास (ii) इंजीनियरी संस्थाओं की नेट वर्किंग (iii) केंद्रीय क्षेत्र के अधीन प्रबंधन क्षमता विकास।

62. **केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार:** क्रम संख्या 79 पर देखें।

63. **पीपीपी प्रणाली के तहत नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान:** सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सरकारी निजी सहभागिता के तहत स्थापित किए जाएंगे।

64. **आयोजना एवं वास्तुकला के नए स्कूलों:** आयोजना एवं वास्तुकला स्कूलों को देश और विश्व में मानव आवासों के डिजाइन तथा विकास के सभी पहलुओं में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में एक प्रमुख संस्थान के रूप में माना जाता है।

65. **इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** इस योजना के अन्तर्गत मंत्रालय सभी आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी., बंगलौर को और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों और संस्थानों सहित केंद्रीय वित्तपोषित सरकारी संस्थानों को पूर्ण पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और ग्रंथ विज्ञान डाटाबेस हेतु पट्टे प्रदान करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करता है। भाग लेने वाले संस्थान ए.आई.सी.टी.ई. की सहायता से चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की ओर पट्टे पा रहे हैं।

66. **नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** क्रम संख्या 45 पर देखें।

67. **भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर):** क्रम संख्या 77 पर देखें।

68. **मौजूदा पालिटैक्रिकों का उन्नयन/नए पालिटैक्रिकों की स्थापना:** क्रम संख्या 84 पर देखें।

69. **नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** क्रम संख्या 74 पर देखें।

70. **नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना:** क्रम संख्या 47 पर देखें।

71. **पोलिटैक्रिक्स में महिला छात्रावास:** क्रम संख्या 84 पर देखें।

72. **सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, नैनो मेटिरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मेकाट्रोनिक्स, हायर परफॉर्मिंग कम्प्यूटिंग इंजीनियरी/इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोफेशनल/बिजीनेस एथिक्स और स्किल्स डेवलेपमेंट सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

73. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में वर्ष 1945 में की गई थी। 1987 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जो 28 मार्च 1988 से लागू हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों में पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का योजनागत और समन्वित विकास करना, योजनागत मात्रात्मक संवृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों और स्तरों को बनाए रखना शामिल है। इसमें राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हेतु प्रावधान भी शामिल है।

74. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य कार्य पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त योजना और समन्वित विकास करना, ऐसी शिक्षा की सुनियोजित मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों तथा मानदंडों का विनियमन एवं उचित अनुरक्षण करना है।

75. **भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना:** एक राज्य विश्वविद्यालय, नामतः बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर को केन्द्र सरकार के तहत एक संस्थान, नामतः भारतीय इंजीनियरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है।

76. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर (नेरिस्ट):** क्रम संख्या 79 पर देखें।
77. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)**
को सहायता: भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए संस्थानों के लिए प्रावधान है।
78. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, और कांचीपुरम) को सहायता:** इसमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, और कांचीपुरम) के लिए प्रावधान किया गया है।
79. **एसएलआईईटी, नेरिस्ट, निफ्ट रांची और सिटकोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, (नेरिस्ट), संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार,राष्ट्रीय गढ़ाई एवं डलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची और अन्य संस्थानों को सहायता के लिए प्रावधान किया गया है।
80. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार हेतु पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्रों, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क को स्थापित करना और उन्हें एक साथ जोड़ना। मुक्त डिजाइन स्कूल सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क, देश में डिजाइन शिक्षा में और आगे जाने तथा इसकी पहुंच और डिजाइन शिक्षा और नवाचार मानकों का स्तर उठाने हेतु डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा।
81. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहल:** इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संबद्धताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और इस प्रकार के संबंध का निर्माण करने के लिए भारतीय संस्थाओं की बृहतर संख्या को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
82. **सामुदायिक कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता:** इस योजना के तहत, सामुदायिक कॉलेजों के जरिए, उच्चतर शिक्षा में कौशल आधारित कार्यक्रमों के विस्तार के संबंध में विशेष बल दिया जाएगा, जो बहु-आवश्यकतकों को पूरा करेंगे। शोषित विद्यार्थियों को सुलभ पहुंच प्रदान करने के लिए सामुदायिक कॉलेजों को स्थापित किया जाएगा।
83. **आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी, हैदराबाद के लिए प्रावधान.
84. **राज्यों में पॉलिटैक्रिकों के लिए सहायता:** पॉलिटैक्रिकों के उप-मिशन के संबंध में XI वीं योजना की मौजूदा योजनाओं में, असेवित क्षेत्रों में नए पॉलिटैक्रिक स्थापित करने, मौजूदा पॉलिटैक्रिकों में अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, सामुदायिक पॉलिटैक्रिकों और पॉलिटैक्रिकों में महिला छात्रावासों के लिए चार घटक शामिल हैं।

इस योजना को रूसा के साथ विलय कर दिया गया है। क्रम संख्या 17 पर देखें।

85. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी)/भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) की स्थापना करना:** तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में पहुंच की वृद्धि करने के भाग के रूप में, ऐसे राज्यों जहां आईआईटी और आईआईएम नहीं हैं वहां पर उनकी स्थापना करना प्रस्तावित है। 500 करोड़ रूपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
86. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) सीमांघ्र:** इस योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।
87. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सीमांघ्र:** इस योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।
88. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) सीमांघ्र:** इस योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।
89. **भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर):** इस योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।
90. **पीपीपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी):** इस योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।
91. **राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र सहित अन्य कार्यक्रम:** इसमें एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, प्रबंधन फार्मैसी शिक्षा तथा होटल प्रबंधन हेतु गुणवत्तापरक सुधार कार्यक्रम, बहु-विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना और उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण और अनुसंधान मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली का सृजन करने तथा अनुसंधान मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना तथा अंतःसांस्थानिक केन्द्रों की स्थापना करने, उत्कृष्टता समूहों, नेटवर्कों का निर्माण करने और संस्थाओं के मध्य मैत्री संघ स्थापित करने हेतु प्रावधान शामिल है। इसमें आगे राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान है।